भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3647
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र

3647. श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सम्पूर्ण तमिलनाडु में कुल कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्रों (पीएमबीजेके) की स्थापना की गई है;
(ख) पीएमबीजेके के अंतर्गत उन दवाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके मूल्यों में विगत तीन वर्षों के दौरान कमी आई है;
(ग) क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है जिससे यह ज्ञात होता है कि अनेक जनऔषधि केन्द्र आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आवश्यक दवाओं की कमी हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बाधाओं के क्या कारण हैं;
(घ) सरकार द्वारा सभी पीएमबीजेके को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या पीएमबीजेके के वितरण में असमानताएं हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक बिक्री केन्द्र स्थापित हैं और यदि हां, तो ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में पृथक रूप से राज्य-वार कितने पीएमबीजेके हैं; और
(च) सरकार द्वारा अल्पसेवित क्षेत्रों में और अधिक जनऔषधि केन्द्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में खोले गए जन औषधि केंद्रों (जेएके) की वित्त वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	खोले गए जन औषधि केन्द्र
2021-22	93
2022-23	54
2023-24	187
कुल	**334**

(ख): पिछले तीन वर्षों में पीएमबीजेपी उत्पाद टोकरी के अंतर्गत 42 दवाओं और अन्य उत्पादों के अधिकतम खुदरा मूल्य में कमी आई है। दवाओं की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ग): भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई), जो पीएमबीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी है, के मालगोदामों में आपूर्ति श्रृंखला में कोई व्यवधान या दवाओं की कमी नहीं है।

(घ): जेएके में सुचारू आपूर्ति और उत्पाद उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एक परिपूर्ण आईटी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है। इसमें गुरुग्राम में एक केंद्रीय मालगोदाम और बेंगलुरु, गुवाहाटी, चेन्नई और सूरत में चार क्षेत्रीय मालगोदाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को सशक्त करने के लिए देश भर में 36 वितरकों की नियुक्ति की गई है।

400 अधिक खपत (फास्ट-मूविंग) वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, 200 दवाओं के लिए न्यूनतम भंडारण अनिवार्यता लागू की गई है, जिसमें योजना उत्पाद टोकरी में 100 सबसे अधिक बिक्री होने वाली दवाएं और बाजार में 100 तेजी से बिक्री होने वाली दवाएं शामिल हैं। भंडारण अनिवार्यता के अंतर्गत, जेएके मालिक अपने द्वारा रखे जाने वाले उक्त 200 दवाओं के स्टॉक के आधार पर प्रोत्साहन का दावा करने के पात्र हो जाते हैं।

(ङ): पीएमबीजेपी के अंतर्गत, दिनांक 28.2.2025 तक देश भर में कुल 15,057 जेएके खोले गए हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

इनमें से, किसी जेएके की शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में होने की स्थिति की सूचना 11,998 जेएके के संबंध में उपलब्ध है जिनमें से 5,907 (49.2%) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें आदिवासी आबादी की महत्वपूर्ण सघनता वाले क्षेत्र शामिल हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(च): सभी जन औषधि केंद्र मालिक उनके द्वारा की गई मासिक खरीद की 20% की दर से प्रोत्साहन के पात्र हैं, जो कि 20,000 रुपए की मासिक अधिकतम सीमा और विनिर्दिष्ट दवाओं के स्टॉक को बनाए रखने जैसी कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन है। इसके

अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में खोले गए स्टोरों या महिला उद्यमियों, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा खोले गए स्टोरों को फर्नीचर, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर और अन्य फिक्स्चर के लिए सहायता के रूप में 2 लाख रुपए का एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, औषध विभाग, सहकारिता मंत्रालय के साथ समन्वय करके, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) और अन्य सहकारी समितियों में जन औषधि केंद्र (जेएके) खोलने की सुविधा प्रदान कर रहा है ताकि गुणवत्तापूर्ण जन औषधि दवाओं का लाभ देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच सके। दिनांक 28.2.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएसीएस और अन्य सहकारी समितियों द्वारा खोले गए जेएके की संख्या 724 थी।

इसके अतिरिक्त, उद्यमियों को जेएके खोलने के लिए आमंत्रित करने हेतु समाचार-पत्रों, रेडियो और टेलीविजन विज्ञापनों तथा सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जाता है।

अनुलग्नक-I

जनऔषधि दवाओं के मूल्य में कमी के संबंध में श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 21.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3647 के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमबीजेपी उत्पाद टोकरी के अंतर्गत दवाइयां और अन्य उत्पाद जिनके अधिकतम खुदरा मूल्य में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कमी आई है

क्र. सं.	दवा का विवरण	इकाई का आकार
1	फैमोटिडाइन टैबलेट आईपी 20 एमजी	14
2	मेथोट्रेक्सेट टैबलेट आईपी 7.5 एमजी	10
3	नेबिवोलोल टैबलेट आईपी 5 एमजी	10
4	बिसोप्रोलोल टैबलेट 5 एमजी	10
5	थियोकोल्चिकोसाइड 4 एमजी और एसिक्लोफेनाक 100 एमजी टैबलेट	10
6	नेप्रोक्सन टैबलेट आईपी 500 एमजी	15
7	एट्राक्यूरियम बेसिलेट इंजेक्शन आईपी 25 एमजी / 2.5 एमएल	2.5 एमएल
8	बोर्टेजोमिब इंजेक्शन आईपी 3.5 एमजी	वाइल
9	ग्लिसेरिल ट्रिनिट्रेट नियंत्रित रिलीज टैबलेट 2.6 एमजी (नाइट्रोग्लिसरीन नियंत्रित रिलीज टैबलेट)	30
10	इमैटिनिब मेसिलेट टैबलेट आईपी 400 एमजी	10
11	माइकोफेनोलेट मोफेटिल टैबलेट आईपी 500 एमजी	10
12	नेबिवोलोल टैबलेट आईपी 2.5 एमजी	10
13	टेल्मिसर्टन 40 एमजी और मेटोप्रोलोल 25 एमजी टैबलेट	10
14	टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट आईपी 20 एमजी	10
15	टिज़ैनिडाइन टैबलेट आईपी 2 एमजी	10
16	टेनेलिग्लिप्टिन 20 एमजी और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 500 एमजी (सस्टेन्ड रिलीज़) टैबलेट	10
17	टेनेलिग्लिप्टिन 20 एमजी और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 1000 एमजी (सस्टेन्ड रिलीज़) टैबलेट	10
18	मेटोप्रोलोल सक्सिनेट 25 एमजी (एक्सटेंडेड रिलीज़) और एम्लोडिपिन बेसिलेट 5 एमजी टैबलेट आईपी	7
19	एर्लोटिनिब टैबलेट आईपी 150 एमजी	10 बोतल
20	ओल्मेसार्टन मेडोक्सोमिल 20 एमजी और हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड 12.5 एमजी टैबलेट आईपी	10
21	थियोकोल्चिकोसाइड कैप्सूल आईपी 4 एमजी	10
22	कैपेसिटाबाइन टैबलेट आईपी 500 एमजी	10

23	लेवेटिरेसेटम ओरल सॉल्यूशन आईपी 100 एमजी	100 एमएल
24	विल्डाग्लिप्टिन टैबलेट आईपी 50 एमजी	15
25	विल्डाग्लिप्टिन 50 एमजी और मेटफॉर्मिन 500 एमजी टैबलेट	15
26	विल्डाग्लिप्टिन 50 एमजी और मेटफॉर्मिन 1000 एमजी टैबलेट	15
27	एसेक्लोफेनाक 100 एमजी , पैरासिटामोल 325 एमजी और टिज़ैनिडाइन 2 एमजी टैबलेट	10
28	बिलास्टाइन टैबलेट 20 एमजी	10
29	बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट टैबलेट 2.5 एमजी	10
30	लिनाग्लिप्टिन टैबलेट 5 एमजी	10
31	सैक्यूबिट्रिल 24 एमजी और वाल्सार्टन 26 एमजी की गोलियां	10
32	सैक्यूबिट्रिल 49 एमजी और वाल्सार्टन 51 एमजी की गोलियां	10
33	सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की गोलियां (50/1000 एमजी)	10
34	सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की गोलियां (50/500 एमजी)	10
35	सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट की गोलियां आईपी (100 एमजी)	10
36	सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट की गोलियां आईपी (50 एमजी)	10
37	टिकाग्रेलर की गोलियां आईपी 90 एमजी	10
38	विल्डाग्लिप्टिन 50 एमजी और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 850 एमजी की गोलियां	15
39	वोग्लिबोस 0.2 एमजी , ग्लिमेपिराइड 1 एमजी और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 500 एमजी (सस्टेन्ड रिलीज) की गोलियां	10
40	एस्सिटालोप्राम की गोलियां आईपी 5 एमजी	10
41	टोलपेरिसोन की गोलियां 150 एमजी	10
42	प्रोटीन पाउडर (100% व्हे प्रोटीन) 1 किलोग्राम (2.2 पाउंड) जार	1 किलोग्राम (2.2 पाउंड) जार

अनुलग्नक-II

जनऔषधि दवाओं के मूल्य में कमी के संबंध में श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 21.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3647 के भाग (ङ) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 28.02.2025 तक खोले गए जन औषधि केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खोले गए जेएके की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9
2	आंध्र प्रदेश	275
3	अरुणाचल प्रदेश	34
4	असम	170
5	बिहार	812
6	चंडीगढ़	11
7	छत्तीसगढ	278
8	दिल्ली	492
9	गोवा	15
10	गुजरात	760
11	हरियाणा	408
12	हिमाचल प्रदेश	71
13	जम्मू और कश्मीर	318
14	झारखंड	148
15	कर्नाटक	1,425
16	केरल	1,528
17	लद्दाख	2
18	लक्षद्वीप	1
19	मध्य प्रदेश	545
20	महाराष्ट्र	708
21	मणिपुर	54
22	मेघालय	25
23	मिजोरम	15
24	नागालैंड	22
25	ओडिशा	682
26	पुदुचेरी	33
27	पंजाब	489
28	राजस्थान	486
29	सिक्किम	11
30	तमिलनाडु	1,363
31	तेलंगाना	199
32	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	39
33	त्रिपुरा	28
34	उत्तर प्रदेश	2,658
35	उत्तराखंड	313
36	पश्चिम बंगाल	630
कुल		**15,057**

अनुलग्नक-III

जनऔषधि दवाओं के मूल्य में कमी के संबंध में श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 21.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3647 के भाग (ङ) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक

किसी जेएके की शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में होने की स्थिति की उपलब्ध सूचना के संदर्भ में 11,998 जन औषधि केंद्रों में से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 5,907 जन औषधि केंद्रों (जेएके) का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खोले गए जेएके की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8
2	आंध्र प्रदेश	127
3	अरुणाचल प्रदेश	23
4	असम	108
5	बिहार	478
6	चंडीगढ़	10
7	छत्तीसगढ	93
8	दिल्ली	2
9	गोवा	3
10	गुजरात	215
11	हरियाणा	98
12	हिमाचल प्रदेश	30
13	जम्मू और कश्मीर	68
14	झारखंड	67
15	कर्नाटक	359
16	केरल	955
17	लद्दाख	1
18	मध्य प्रदेश	117
19	महाराष्ट्र	154
20	मणिपुर	50
21	मेघालय	15
22	मिजोरम	9
23	नागालैंड	18
24	ओडिशा	323
25	पुदुचेरी	17
26	पंजाब	70
27	राजस्थान	112
28	सिक्किम	2
29	तमिलनाडु	618
30	तेलंगाना	65

31	दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव	29
32	त्रिपुरा	23
33	उत्तर प्रदेश	1,029
34	उत्तराखंड	55
35	पश्चिम बंगाल	556

*****